(48)

21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1733–दो/2002, विरूद्ध आदेश दिनांक 30–05–2002 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 151/अ–19/1999–2000 निगरानी ।

सुखलाल तनय पंछी तिवारी,
अमानगंज तहसील गनौर
जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0
पन्ना म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/2/10 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमानगंज में स्थित भूमि शासकीय आराजी नम्बर 456 रकबा 0.555 हेक्टेयर पर वर्ष 1978–79 से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा आवेदक द्वारा उक्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु विधिवत् रूप से कार्यवाही की गई थी, परन्तु उसके आवेदन पत्र पर बिना कोई विचार किये ही दिनांक 8–12–1999 को कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा अनावेदक कमांक 1 को देने का जो आदेश पारित किया है, से दुखित होकर आवेदक द्वारा अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 151/अ–19/1999–2000 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 30–5–2002 से निगरानी निरस्त करते हुये कलेक्टर जिला पन्ना का आदेश स्थिर रखा । अतिरिक्त आयुक्त सागर सभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2002 से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया कि शासकीय भूमि खसरा नम्बर 456 पर आवेदक का सन् 1978–79 से लगातार कब्जा चला आ रहा है तो बंटन के समय वह भूमि के कब्जे में था जिसे शासन अतिक्रमण की संज्ञा दे रहा है तो ऐसी भूमि जब तक शासन के आधिपत्य में नहीं आ जाती तब तक बंटन हेतु उपलब्ध नहीं मानी जाती जैसा कि म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार अध्याय 3 की कंडिका 9 में लिखा है कि "पटवारी गैर कब्जे की भूमि की सूची तैयार करके आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । यहॉ यह महत्वपूर्ण है कि यह भूमि गैर कब्जे की नहीं थी वह तो आवेदक के कब्जे की थी इसलिये विवादित भूमि अनावेदक को बंटित हो ही नहीं सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का अनावेदक संस्था को बंटन होने के कारण सार्वजनिक हित में देखकर आवेदक की निगरानी निरस्त की है जबकि आवेदक भूमि का बंटन करा पाने का पात्र है, इस संबंध में व्यवहार न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है और शासन को तथा अनावेदक को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश भी दिये हैं इसलिये आवेदक को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है । नगरीय क्षेत्र की भूमि का कब्जे के आधार पर व्यवस्थापन किन नियमों के तहत किया जा सकता है यह बताने में आवेदक असफल रहा है । वैसे भी कलेक्टर ने सार्वजनिक हित बीज गोदाम निर्माण के लिये सहकारी संस्था को भूमि आवंटित की है । सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित के ऊपर प्राथमिकता देने में कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त ने भी निगरानी निरस्त की है ।

5/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी बलहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर